न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

हेमराज बनाम ग्राम पंचायत सराना वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 415/2025 (सरवाड)

रि.ना.10
20/9/25

	श्री गौतमचंद टांक	
28.08.2025	हेमराज बनाम ग्राम पंचायत सराना जरिये सरपंच (2025/415) यह अपील श्री गौतमचंद टांक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 345/2024 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। अतः **प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी ने दिनांक 20.06.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया था, जिसे दर्ज करते हुए प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुने जाने के उपरांत एकपक्षीय अंतरिम स्थगन जारी कर अपीलांट/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तत्पश्चात दिनांक 07.11.2024 को अप्रार्थी/अपीलांट उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जा चुका है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अप्रार्थी सरकार को जवाब पेश करने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जावें यदि जवाब प्रस्तुत नहीं करे तो जवाब बंद कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी ए / संख्या 415 / 2025 / जिला अजमेर

2025 415

1. श्री हेमराज पुत्र रतनलाल कलाल
2. श्री सत्यनारायण पुत्र रतनलाल कलाल

समस्त निवासीगण सराना तहसील टांटोटी जिला अजमेर राज0

———प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत सराना जरिये सरपंच नीलम दूनीवाल पंचायत समिति सरवाड तहसील टांटोटी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय टांटोटी तहसील टांटोटी जिला अजमेर।

———अप्रार्थीगण

अपील

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड जिला अजमेर प्रकरण संख्या 345/2024 बउनवानी सरपंच सराना बनाम हेमराज व अन्य

मान्यवर,

अपीलांट्स की ओर से निम्न निवेदन है कि–

(अ) अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स की खातेदारी व स्वामित्व तथा कब्जा काश्त व स्वयं के आधिपत्य की कृषि आराजीयात पटवार हल्का सराना ग्राम सराना तहसील टांटोटी जिला केकडी में स्थित है आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या नये 676 पुराने 639 खसरा नं. 2868 रकबा 0.32 हैक्टेयर अवस्थित है प्रार्थीगण की उक्त अवस्थित आराजीयात पर ग्राम पंचायत सराना जरिये सरपंच द्वारा अविधिक तथा अवैधानिक रूप से तथा बिना खातेदारी हैसियत से तथा बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लिये बिना जरिये ग्राम पंचायत के मार्फत वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, 209, 92(ए) राजस्थान

Scanned with CamScanner